समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 67/2018-19 (पथ) ..136.. /भूअ0 गोड्डा दिनांक :– ..28/01/19..

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **जोगिन पहाड़ी सीट नं0– 1, थाना नं0– 110/138, अंचल– पथरगामा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **योगिनी स्थान से बारकोप मंदिर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ निर्माण** हेतु अपेक्षित है।

अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा– **जोगिन पहाड़ी सीट नं0– 1, थाना नं0– 110/138, अंचल– पथरगामा**, जिला– गोड्डा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.015** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	28	निजी	धानी II	0.003	0.003	खतियानी रैयत– झकसू देवन, वल्द मनेजर देवन के वारिसान	25	पथ	सीमा	29
2	8	44	निजी	धानी III	0.004	0.004	मो0 दिलवहाल खेलनी, दोखतर शिवदयाल खेलडा के वारिसान	पथ	सीमा	सीमा	पथ
3	17	30	निजी	धानी II	0.003	0.0009	मो0 बदामो देवी, पति– मोहन रजक, सा0– बारकोप	पथ	31	43	15
4		43	निजी	धानी I	0.002	0.0008	रामेश्वर रजक, पिता– रौशन बैठा, सा0– बारकोप	पथ	42	पथ	30
5						0.0008	शिवशंकर रजक, पिता– रौशन बैठा, सा0– बारकोप				
6						0.0003	महेन्द्र रजक, पिता– वासुदेव रजक, सा0– बारकोप				

7						0.0002	नरसिंह रजक, पिता– वासुदेव रजक, सा0– बारकोप				
8						0.0002	सिकन्दर रजक, पिता– वासुदेव रजक, सा0–वारकोप				
9						0.0006	रामविलाश रजक, पिता– तीतू रजक, सा0–वारकोप				
10						0.0006	वालेश्वर रजक, पिता– भूषण बैठा, सा0–वारकोप				
11						0.0006	नामालुम , पति–केलाश रजक, सा0–वारकोप				
12	20	16	निजी	बाड़ी II	0.003	0.00075	उपेन्द्र नारायण सिंह, पिता– विन्देश्वरी प्रसाद सिंह, सा0–वारकोप	पथ	13	15	2
13						0.00075	मीरा देवी, पति–सुभाष चन्द्र सिंह, सा0–गंगटी जागीर				
14						0.0001875	गोपाल कृष्ण सिंह, पिता– राधारमण सिंह, सा0– वारकोप				
15						0.0001875	हीरालाल सिंह, पिता– पिता–राधारमण सिंह, सा0–वारकोप				
16						0.0001875	जवाहरलाल सिंह, पिता–राधारमण सिंह, सा0–वारकोप				
17						0.0001875	श्रीकृष्ण सिंह जोरावर, पिता–राधारमण सिंह, सा0–वारकोप				
18						0.000375	प्रदीप कुमार सिंह, पिता–श्यामलाल सिंह, सा0–वारकोप				
19						0.000375	आशुतोष सिंह, पिता– करूण प्रसाद सिंह, सा0–वारकोप				
				कुल	0.015	0.015	एकड़				

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पथरगामा और उनके कर्मचारी– कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 136 /भू0अ0 दिनांक :– 28/01/19 ।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीध्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– IT Manager, DPMU (Revenu), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 136 / भू0अ0 दिनांक :– 28/01/19 ।

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 136 / भूअ0 दिनांक : 28/01/19

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
गोड्डा।